सत्यमेव जयते

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

# उन्हें उनका बचपन लौटाइए

बाल मजदूरी छोड़ो, शिक्षा से रिश्ता जोड़ो

शोषण से शिक्षा की ओर

## बाल श्रम पर स्कूली बच्चों और युवाओं के संवेदीकरण के लिए

## इंडस

बाल श्रम परियोजना

इंडस बालश्रम परियोजना के लिए धनराशि संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग (USDOL) तथा भारत सरकार द्वारा जुटाई गई इस प्रकाशन में व्यक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से संयुक्त राज्य श्रम विभाग (USDOL) का दृष्टिकोण नहीं है न ही इसमें चर्चित व्यापारिक नाम, उत्पाद या संगठन सम्मिलित किया जाने का यह निहितार्थ है कि ये व्यापारिक नाम, उत्पाद का संगठन अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित है।

# उन्हें उनका बचपन लौटाइए

बाल श्रम पर
स्कूली बच्चों और युवाओं के
संवेदीकरण के लिए

इंडस बाल श्रम परियोजना
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
दक्षिण एशिया का उपक्षेत्रीय कार्यालय
नयी दिल्ली

कॉपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2006

अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के प्रकाशनों को विश्व कॉपीराइट समझौते के नयाचार 2 के तहत कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त है। तथापि स्रोत का उल्लेख करने की शर्त पर इसमें से संक्षिप्त उद्धरणों को अनुमति के बिना भी उद्धृत किया जा सकता है। उद्धरण और अनुवाद के अधिकार के लिए आवेदन प्रकाशन ब्यूरो (अधिकार और अनुमति), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय, सी एच 1211 जेनेवा 22, स्विटजरलैंड को किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इस प्रकार के आवेदनों का स्वागत करता है।

---

**उन्हें उनका बचपन लौटाइए**

आई एस बी एन 92–2–818022–6 (प्रिंट)
आई एस बी एन 92–2–818023–4 (वेब पीडीफ)

प्रथम प्रकाशन 2006

---

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशनों में प्रयुक्त विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति के अनुरूप है और उसमें दी गई सामग्री का आशय किसी देश की कानूनी स्थिति से संबंधित श्रम कार्यालय, क्षेत्र अथवा इसके प्राधिकरण पर विचार व्यक्त करने अथवा किसी देश की सीमाओं में परिवर्तन से नहीं है।

लेखों, अध्ययन और अन्य योगदान में दिए गए विचारों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके लेखकों की है और इनमें दिए गए मतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का समर्थन नहीं समझा जाना चाहिए।

किसी फर्म के नाम और वाणिज्यिक उत्पाद और प्रक्रिया के उल्लेख का आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त है और यदि किसी विशेष फर्म, वाणिज्यिक उत्पाद और प्रक्रिया का उल्लेख न होने का आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उन्हें अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थानीय कार्यालयों अथवा सीधे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय सी एच 1211, जेनेवा 22, स्विटजरलैंड से प्राप्त किया जा सकता है। नए प्रकाशनों की सूची उपरोक्त पते पर निःशुल्क उपलब्ध है।

# विषय सूची


- प्राक्कथन iii
- आभारी v
- परिचय 1
- सत्र – 1 बाल श्रम : सामाजिक संदर्भ 5
- सत्र – 2 बाल श्रम के उन्मूलन में आपका योगदान 13
- सत्र – 3 बाल श्रम पर प्रश्नोत्तरी तथा विचार–विमर्श 19

## INDUS CHILD LABOUR PROJECT

In numerous forms and contexts, child labour exists all over India and the violation of human rights that it manifests has necessitated interventions at different levels. Being a Technical Co-operation project of the Ministry of Labour and Department of Education, Government of India and the United States Department of Labor, the INDUS Child Labour Project is a concerted effort to develop sustainable model for a future without child labour. It seeks to provide all children with their inalienable right to education and childhood, by enlisting the support of relevant Government Ministries and Departments at the national, state and local levels, employers and workers organisations, NGOs and Civil Society institutions.

The project will be implemented in five district each in the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The sector identified for focus on a priority basis are :

- Hand-rolled bidi cigarette
- Brassware
- Hand-made bricks
- Fireworks
- Footwear (leather, rubber, plastic)
- Hand-blown glass bangles
- Hand-make locks
- Hand-dipped matches
- Hand-brocken quarried stones
- Hand-spun hand-loomed silk thread, yarn and fabric

### Beneficiaries

80,000 children are targeted under this project. There are four groups of direct beneficiaries in each district :

- Identified young child workers (5-8 years), who will be directly enrolled in regular school;
- Older child workers (9-13 year), who will be provided with transitional education and support services;
- Adolescent workers (14-17 years), who will be provided with vocational training; and
- Parent of working children, who will be organised into self-help groups and later provided with skills for additional income generation.

**For further reading on child labour related articles/information, please visit the following websites:**

http://labour.nic.in

http://ssa.nic.in

www.yashada.org

www.pratham.org.

http://childrenrightsindia.org/cacl-updatejan2002.htm

www.ilo.org/childlabour

www.ilo.org/childlabourusa

http://www.mvfindia.org

http://www.savethechildren.org.uk

www.unicef.org

http://www.cini-india.org

के० एम ० साहनी, आई० ए० एस०
भारत सरकार
के सचिव
K. M. SAHNI, *I.A.S.*
SECRETARY TO
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI-110001

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
TELE : 23 71 02 65
FAX : 23 35 56 79
E-MAIL : km.sahni@nic.in

# प्राक्कथन

बालश्रम के उन्मूलन की दिशा में सक्रियता तथा जनजागृति बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत इंडस बालश्रम परियोजना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के सहयोग से एक 'युवा संवेदीकरण–सक्रियकरण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया। कार्यक्रम आयोजित करने के अपने अनुभवों के आधार पर इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक 'युवा संवेदीकरण मापांक विकसित किया। इस मापांक को बाद में अनेक सरकारी व निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में जाँचा–परखा गया।

इस मापांक को स्कूल के किशोरों तथा स्नातक–स्तर के कॉलेज–विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके बाल मजदूरों को फिर से शिक्षा–व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाए गए है। इस मापांक को 'निर्देशिका' की तरह प्रयोग में लाया जाना है। इसमें बालश्रम सम्बंधी चेतना व सक्रियता के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में सुझाव दिये गए हैं। साथ ही बालश्रम के मूद्दे पर चेतना जगाने वाली प्रमुख अवधारणाओं को भी रेखांकित किया गया है। यह मापांक अनुभवात्मक शिक्षण की विचार–भूमि पर आधारित है। इसमें आवश्यक सूचनाएँ निहित है तथा यह किशोरों और युवाओं को अपने अनुभवों के आधार पर सीखने–जानने के लिए प्रेरित करता है। बालश्रम के उन्मूलन के लिए उन्हें संवेदनशील और सक्रिय भागीदार बनाने वाले तरीके इस मापांक में सुझाए गए हैं।

इस मापांक में प्रशिक्षकों के लिए भी तथ्य, तकनीक तथा कारगर तरीके दिए गए हैं, ताकि वे स्कूलों–कॉलेजों में किशोरों–युवाओं के लिए संवेदीकरण/सक्रियकरण–कार्यशालाओं को प्रभावी ढ़ंग से आयोजित कर सकें। तीन हिस्सों में विभाजित इस पुस्तिका के पहले अनुभाग में बालश्रम संबन्धित तथ्यात्मक सूचनाएं जुटाई गई है, जिनमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कानूनी–सुरक्षा–उपायों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार, बालश्रम के कारणों तथा समाज से उसके उन्मूलन में आने वाली संभावित बाधाओं के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अनुभाग II में बालश्रम–उन्मूलन–अभियान में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के तरीके सिखाए गए हैं। इसमें बालश्रम सम्बंधी सूचनाएँ एकत्र करने तथा इस समस्या की गंभीरता के बारे में अड़ोस–पड़ोस के लोगों को सचेत करने जैसे प्रभावी उपाय शामिल है। अनुभाग III में इस मुद्दे पर विद्यार्थियों की समझ को जाँचने के लिए एक प्रश्नोत्तरी दी गई है।

इस मापांक में आवश्यकतानुसार तथ्य जुटाए गए है तथा विश्लेषण की रूपरेखा भी दी गई है। इसमें किशोरों तथा युवाओं को विश्लेषण करने में मदद मिलेगी तथा वे सक्रिय होने की योजना बनाने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ युवकों की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि वे बालश्रम के विरूद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करने और लोगों की मानसिकता बदलने में समर्थ हो सकें।

6 मार्च 2006

के. एम. साहनी

# आभारी

यह पुस्तिका इंडस परियोजना एवं सेंटस्टीफेंज कॉलेज, नई दिल्ली के द्वारा आयोजित लघु सहयोगात्मक कार्यक्रम का परिणाम है।

छात्रों का एक छोटा समूह, इंडस परियोजना टीम से मिला तथा उन्होंने कॉलेज की "अर्थशास्त्र समिति" के वार्षिक समारोह को "बाल–श्रम" विषय पर मनाने की इच्छा व्यक्त की। परियोजना टीम ने इस हेतु उन्हें सहयोग दिया व समारोह की संरचना व तैयारी में सुझाव दिए। श्री हर्वे बर्जर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, बालश्रम; जो दक्षिण एशिया के उपक्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, भारत में कार्यरत है; इस समारोह पर प्रमुख वक्ता थे। इस संवेदीकरण मॉड्यूल की रचना उस कार्यक्रम का नियोजित परिणाम नहीं था किन्तु जिस तरह से ये नवयुवक सुग्राहित हुए, इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न उनके अनुभवों को प्रलेखित कर एक तकनीकी उपकरण के रूप में विकसित कर लिया जाए। इस उपकरण के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों व नवयुवकों को भी संवेदीकृत किया जा सकता है ताकि उनमें यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो कि बाल–श्रम का उन्मूलन संभव है तथा वे इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सहयोग दें।

इस मॉड्यूल को मित्रवत, उपयोगी व अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से दिल्ली, उत्तर–प्रदेश व हरियाणा के कुछ शिक्षण संस्थानों में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें प्रारूप में सम्मिलित किया गया।

इस माडयूल के विकास में बहुमूल्य योगदान के लिए मैं, सेंट स्टीफेंज कॉलेज के प्राचार्य, अध्यापकों व छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं सुश्री माला भण्डारी, व सुश्री कल्पना शर्मा की भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में इसका परीक्षण किया व संशोधन हेतु अपने सुझाव दिए। शाइस्ता ढांढा ने इसमें शामिल लघुकथाएँ लिखी व डा० हरजेन्द्र चौधरी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसका हिन्दी अनुवाद किया, मैं उनकी आभारी हूँ।

इस परियोजना के संचालन में हमें सदैव भारत–सरकार के विभिन्न अधिकारियों से अभूतपूर्व सहयोग मिला है। मैं विशेष रूप से श्री पी. डी. शिनॉय, भूतपूर्व सचिव, श्री के. एम. साहनी सचिव व श्री के. चन्द्रमौलि संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार, तथा श्री मति कुमुद बंसल सचिव व सुश्री वृंदा सरूप संयुक्त सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग; मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का उन्लेख करना चाहूँगी जिनके मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हम आभारी है।

श्री हरमन वैंडर लान भूतपूर्व निदेशक व सुश्री लैला टेगमों रेड्डी वर्तमान निदेशिका, दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्रास्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली। श्री हर्वे बर्जर, वरिष्ठ विशेषज्ञ बाल–श्रम तथा श्री मति नीलम अग्निहोत्री का मैं उनसे मिले तकनीकी व प्रशासनकीय सहयोग के लिए सहृदय धन्यवाद करती हूँ।

इंडस परियोजना के दो सदस्यों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी – सुश्री गायत्री वासुदेवन, परियोजना अधिकारी शोध एवं अनुश्रवण, ने इस मॉड्यूल के विभिन्न प्रारूपों को पढ़ा, मनन किया वह समय–समय पर मिले सुझावों को आत्मसात कर इसमें शामिल किया व श्री डी. बालासुब्रमण्यम ने इसमें संर्पूण सचिवीय कार्य को कार्यकुशल ढंग से किया।

अन्त में, इस माड्यूल का प्रयोग करने के लिए आपका धन्यवाद!

सुरीना राजन

परियोजना प्रबन्धक

इंडस बालश्रम परियोजना

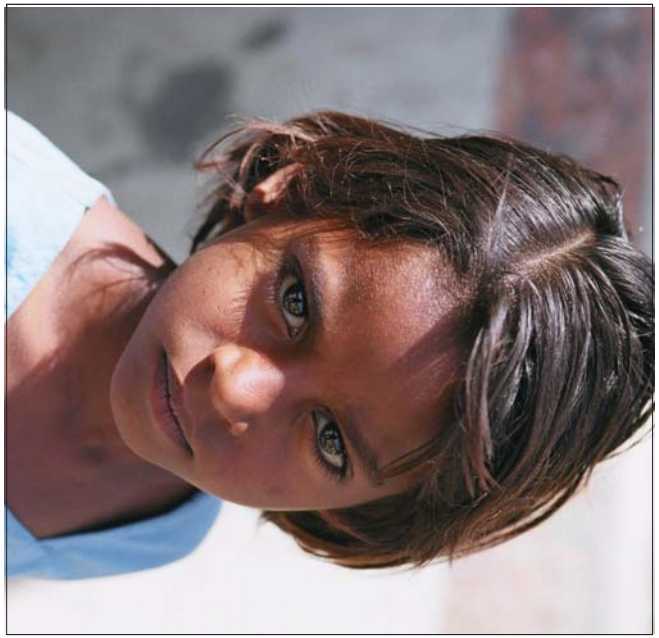

# परिचय

## ... मेरा सवाल ?
## ... मेरा सपना !!

आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार!

क्या आपने मेरी बहन की सहेली मालती की कहानी सुनी है ?

मालती मेरी ही बस्ती में दूसरी गली में रहती है। हमारी बस्ती कबाड़ियों की एक बहुत बड़ी बस्ती है। मेरी पिताजी सुबह कबाड़ उकट्ठा करने के लिए निकलते हैं रास्ते में वह मुझे और मेरी बहन को स्कूल छोड़ देते हैं। दोपहर को स्कूल से लौटते समय हमे रास्ते में मालती मिलती है। वह अपने बड़े से थैले में फटे कपड़े व बोतलें लेकर आ रही होती है। उसने हमें बताया कि वह एक दिन में रेलवे स्टेशन से करीब बीस बोतलें इकट्ठी कर लेती है।

जब मालती हमें अपने दिन भर का समेटा सामान दिखाती है तब मैं और मेरी बहन उसे हमारी मैडम द्वारा बताई कहानियाँ और कविताएं सुनाते हैं। पहले मेरी बहन भी मालती की तरह स्कूल नही जाती थी । जब मेरी मैडम ने पिताजी को स्कूल की अच्छी चीजों के बारे में बताया तो मेरी पिताजी ने सोचा कि वह अबसे ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करेगें जिससे मेरी बहन भी स्कूल आ सके।

मालती की माँ भी तो कबाड़ बेचती हैं। एक दिन मैने उनसे कहा कि वह क्यों नही पिताजी की तरह ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करती ताकि मालती भी हमारे स्कूल में आ सके। उन्होंने कहा कि "मालती का किसी स्कूल में दाखिला नही हो सकता। उसके पास न तो किताबें है और न ही स्कूल ड्रेस। उपर से वह तो उम्र में भी बड़ी है।"

घर आते समय मेरे मन में ख्याल आया।

- जब मेरी बहन ने स्कूल में दाखिला लिया उसके पास भी किताबें व स्कूल ड्रेस नहीं थी, परन्तु कुछ समय बाद उसे वह मैडम से मिल गई।
- मालती को हमेशा हमारी स्कूल की बातें सुनना अच्छा लगता है। क्या पता उसे भी स्कूल में अच्छा लगे। फिर भी शाम को तो वह कुछ बोतलें इकट्ठा कर ही सकती है।
- सोचता हूँ मैडम को मालती के बारे में बताऊँ, मालती की माँ को भी बोलूँ कि वह उसे हमारे साथ स्कूल भेज दें।

क्या आप मालती को स्कूल में लाने के लिए मेरी मदद करेंगे?

कहानी – माधव, उम्र 9 साल, कक्षा–III

बालश्रम की समस्या भारत में सर्वव्यापी होती जा रही है। हम सभी जगह छोटे–छोटे बच्चों को काम करते देखते है–कारखानों में, चाय दूकानों में, पटरी स्थित दूकानों और यहाँ तक की अपने घरों में भी 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत में 21 करोड़ बच्चों में से लगभग एक करोड़, बारह लाख, अस्सी हजार बच्चे पैसे कमाने तथा अपने परिवार को सहारा देने के लिए मजदूरी करते है। इस नग्न यथार्थ पर पूरे समाज को शर्म आनी चाहिए, पर हममें से कितने ऐसे संवेदनशील लोग है जिनका ध्यान अपने आगे–पीछे भागदौड़ करते इन 'रामुओं' और 'बहादुरों' पर जाता है। जिंदगी के सर्वाधिक संवेदनशील दौर में इन्हें भोजन और वस्त्र जैसी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

हम सुविधाभोगी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन बच्चों पर निर्भर रहते है जो घरों, दूकानों तथा कारखानों में काम करते है। उनकी वजह से हम पर से काम का बोझ कम होता है तथा हमारी जिंदगी अधिक आरामदेह हो जाती है।

बालश्रम की समस्याओं के प्रति देश के युवाओं को संवेदनशील व सक्रिय बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 'इंडस–बालश्रम–परियोजना' ने इस समस्या की जटिलताओं को समझने व हल करने के उद्देश्य से, व्यावहारिक निर्देशिका के रूप में यह 'नियम–पुस्तिका' तैयार की है। 'इंडस परियोजना' के लिए भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराया गया है। 'परियोजना' का समन्वय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जा रहा है । यह नियम पुस्तिका बालश्रम के मुद्दे तथा इसके व्यापकतर सामाजिक प्रभावों से परिचित कराती है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करके बालश्रम के खतरों से समाज को मुक्त करने के लिए उनके सहयोग करने के तरीके सुझाना है। इस नियम–पुस्तिका का मंतव्य है कि युवालोग बाल मजदूरों की तकलीफों को समझें। बालश्रम की व्याधि से सीधे जुड़े लोगों (बाल–मजदूरों, माता–पिता, नियोक्ताओं तथा कुल मिलाकर पूरे समाज) की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए युवा लोगों को सामाजिक बदलाव के संवाहक बनाना हमारी तात्कालिक प्राथमिकता है। एक बार यदि हम इस बात को ठीक से समझ लें कि बालश्रम देश के सर्वांगीण विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इस समस्या को समूल नष्ट करने का आधार मिल जाएगा।

इस नियम–पुस्तिका में यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए बालश्रम के विषय पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इसमें तीन सत्र होंगे। प्रथम सत्र बालश्रम की

"मेरी बहन नौ साल की है, पर वह एक स्थानीय कारखाने में काम करती है। उसका मालिक बहुत बुरा और बदमिजाज है। मेरी बहन से कोई गलती हो जाती है तो वह उसकी पिटाई करता है और उसके बालों को पकड़कर खींचता है। वह अकसर उसके कपड़े भी फाड़ डालता है। वह उससे नफरत करती है, पर वह कारखाने की नौकरी छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ कहती रहती है कि हमें उसकी कमाई की जरूरत है ..... "

ऋतु, छः वर्ष

अवधारणात्मक समझ से सम्बंधित होगा। दूसरे सत्र में व्यावहारिक योजना बनाई जायेगी, जिसमें जिम्मेदार सभ्य समाज के सदस्यों के नाते बालश्रम – उन्मूलन के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सहयोग की रूपरेखा बनाई जाएगी। तीसरे सत्र में इस समस्या पर केन्द्रित प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी। सम्बद्ध विषय पर विचार–विमर्श के बाद यह सत्र सम्पन्न होगा।

उम्मीद है कि यह नियम–पुस्तिका सरकारी विभागों, गैर सरकारी–संस्थाओं तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के लिए लाभकारी होगी। वे इसका उपयोग हमारी युवा पीढ़ी को बालश्रम की समस्या की गम्भीरता के प्रति सचेत, संवेदनशील बनाने तथा इसके विरूद्ध जनमत तैयार करने के लिए कर सकेंगे।

# बालश्रम:
# सामाजिक संदर्भ

## ... मेरा सवाल ?

## ... मेरा सपना !!

मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे पिताजी बहुत मज़बूत ताले बनाते हैं। जब मैं छोटा था तो उनके साथ कारखाने पर जाता और उन्हे काम करते देखता । अब मैं दोपहर तक पास ही के स्कूल में जाता हूँ। अकसर माँ पूछती है कि स्कूल में क्या पढ़ा? कहती है कि पढ़ाई में मेहनत कर मैं भी पास ही के गाँव के रमेश की तरह बनूँ और शहर में नौकरी लूँ।

एक दिन मैं पाँच का पहाड़ा दादी को सुना रहा था। अचानक एक चाकू तराशने वाले की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। दादी ने उसे हमारे पुराने चाकू को तराशने के लिए अंदर बुलाया। हरपाल बड़े भाई साहब जितना लम्बा था। उसने मुझसे पूछा "क्या कर रहे हो? मैं बोला "पाँच का पहाड़ा याद कर रहा हूँ। मैडम कहती है कि पाँच का पहाड़ा बहुत जरूरी होता है।" हरपाल ने कुछ परेशानी से मेरी ओर देखा और फिर और फिर काम पर लग गया। कुछ ही समय बाद उसने चाकू तो तराशा ही, पर साथ ही में पाँच के पहाड़े को भी आसानी से सुना दिया। मैं तेज़ी से माँ को बताने अंदर गया, जब लौटा तो हरपाल जा चुका था।

मेरे मन में ख्याल आया

- अगर मैडम हरपाल से मिलती तो बहुत खुश होती कि वह कितनी आसानी से सीख लेता है। पर मैडम हरपाल से मिलेगी कैसे? वह तो स्कूल ही नहीं आता।
- शायद हरपाल नही जानता कि हमारा स्कूल कहाँ है। वह अगर जान ले तो वह भी आसानी से वहाँ आ सकता है।
- मै पिताजी से पूछूँगा कि हरपाल कहाँ रहता है। मैडम से भी पूछूँगा कि क्या हरपाल भी हमारे स्कूल आ सकता है।

कहानी – जगत सिंह, उम्र 8 साल, कक्षा–III

## सत्र - 1

## ज़रूरी चीजें – कंप्यूटर स्लाइड्स और/अथवा प्लेकार्ड्स

हम अक्सर 'बालश्रम' के बारे में सुनते हैं पर हममे से कितने लोग इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं? इस 'अभिव्यक्ति' को अलग–अलग संस्थाओं, एजेंसियों तथा देशों ने अलग–अलग ढ़ंग से परिभाषित किया है। 'बालश्रम' व 'बालकार्य' शब्द एक–दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते है इससे असली मुद्दों तथा क्षेत्र की प्राथमिकताओं के सम्बंध में उलझन और संदेह की स्थिति पैदा हुई है। इसीलिए आइए, सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझें कि ... "बालश्रम, जो कि बाल–कार्य से भिन्न है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को नुकसान पहुँचाता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निम्नलिखित तथ्यों को बालश्रम की परिभाषा में शामिल करता है।

- आर्थिक विवशता तथा
- मनोरंजन, खेल तथा शैक्षिक गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी पर कुप्रभाव डालने वाले वे कार्य, जिनमें बच्चों का समय और उनकी उर्जा खप जाती है।

बालश्रम में निम्नलिखित स्थितियाँ शामिल है।

- बच्चे स्थाई तौर पर वयस्कों जैसा जीवन जीने पर विवश होते हैं।
- वे कम वेतन पर ज्यादा घंटे काम करते हैं और वह भी ऐसी परिस्थितियों में जो उनके स्वास्थ्य व मनोशारीरिक विकास को नुकसान पहुँचाती हैं।
- बच्चों का परिवार से अलगाव हो जाता है; तथा
- ये बच्चे, बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण पाने के सार्थक अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

भारत में बच्चा वह 'वह व्यक्ति' है 'जिसने अपनी आयु के चौदह वर्ष पूरे नही किये हैं।' यह परिभाषा बालश्रम (निषेध तथा नियमन) अधिनियम, 1986 दी गई है। दूसरे सम्बद्ध कानूनों में भी यह परिभाषा लागू होती है।

आइए, अब देखें कि ये बच्चे कहाँ–कहाँ काम करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे कि खेती बाड़ी, कृषि–मजदूर, पशुपालन, वानिकि मछली पालन, पौधा–रोपण, खदान व खनन, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाईयाँ, छोटी–मोटी मरम्मत, भवन निर्माण, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, भंडारण, तथा संचार। असल में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें बच्चें किसी काम में न लगे हों।

हम गाँव में रहते हों या शहर में, अपने आसपास बच्चों को मजदूरी करते देख सकते हैं। बालश्रम का सामान्यतया इस निराधार धारणा से समर्थन मिलता है कि अपनी छोटी–पतली उगंलियों के कारण बच्चे दरी बुनने जैसे कार्यो को अधिक तेजी और कुशलता से करते हैं। अनेक अध्ययनों द्वारा इस गलत धारणा को खंडित किया जा चुका है। ऐसे अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि जिन कामों में बच्चों को अधिक कुशल

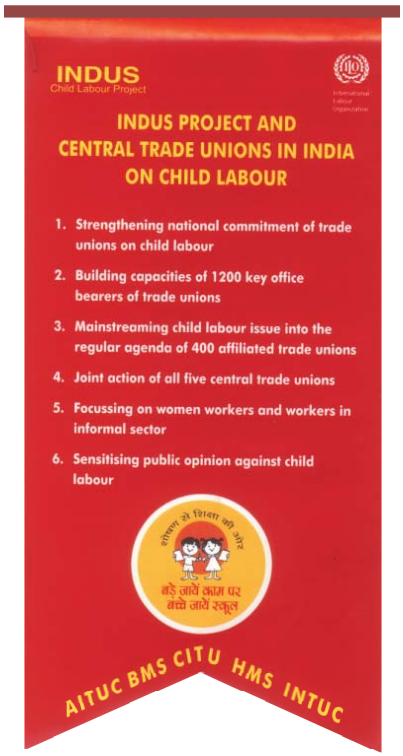


भारत में बच्चों से सम्बंधित आँकड़ों पर नजर डालने से हमारे सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

- बच्चों की कुल जनसंख्या (5–14 वर्ष आयु के) : 19 करोड़ तीस लाख (जनगणना 2001)
- स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की संख्या : 5 करोड़ 90 लाख, जिनमें 3 करोड़ 50 लाख बालिकाएं है। (भारत सरकार, 2002 अनुमान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- भारत में बाल मजदूरों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है।
- भारत में बाल मजदूरों की अनुमानित संख्या : 1 करोड़ 26 लाख, (जनगणना 2001) तथा
- बाल मजदूरों के काम के घंटों की औसत संख्या : प्रतिदिन 8 से 12 घंटे।

माना जाता है, उनमें भी वयस्क मजदूरों की संख्या बाल मजदूरों से अधिक होती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादकता की दृष्टि से, बाल–मजदूरों के मुकाबले वयस्क मजदूरों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

ऐसे चौंकाने बाले तथ्यों का सामना करने पर क्या आपकों ऐसा नहीं लगता कि हम, विशेषाधिकार–प्राप्त वर्ग के लोग, स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे है, लेकिन दूसरी ओर, हमारे बच्चें जो हमारे देश के भविष्य है, भूख और अभावों से जूझ रहे हैं। वे ऐसी–ऐसी जगहों पर काम करके आजीविका कमा रहे हैं, जहाँ हम में से ज्यादातर लोग जाना भी पसंद न करें।

बाल–मजदूर, कार्यस्थितियों से निरपेक्ष, हर रोज़ जोखिम भरी जगहों पर काम करते हैं और हँसी–खुशी के मूल अधिकार से वंचित रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1999 में बालश्रम के निकृष्ट रूपों पर प्रस्ताव संख्या182 के अनुच्छेद 3(क) में जोखिम पूर्ण स्थानों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है " ऐसा कोई भी कार्य जो अपनी प्रकृति के कारण या उन परिस्थितियों के कारण जिनमें यह कार्य किया जाता है, बच्चे की सेहत, सुरक्षा या मनोबल को नुकसान पहुँचा सकता है।"

हमें यह समझना चाहिए कि किसी काम के जोखिमपूर्ण होने या न होने की बात को निर्धारित करने के लिए काम की प्रकृति या स्थितियाँ ही वास्तविक आधार हो सकती हैं। इसे सम्बद्ध देशों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हर देश ने अपने परिवेश तथा परिस्थितियों के सन्दर्भ में जोखिमपूर्ण कार्य को परिभाषित किया है। भारत में तामिलनाडू के शिवकाशी जिले में स्थित आतिशबाजी बनाने के कारखाने वहाँ कार्यरत बाल–मजदूरों के लिए बहुत नुकसानदेह होने के कारण कुख्यात हैं। इन कारखानों में विषैले रसायनों और रिसाव से दुर्घटनाएँ घटना तथा मजदूरों का घायल होना बहुत आम बात है।

अब कोई यह पूछ सकता है कि बालश्रम के मामले को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? बच्चे ऐसी खतरनाक जगहों पर काम करते हैं, तो भी क्या? इसे हम अपनी या अपने समाज की समस्या क्यों माने?

हम ज़ोर देकर कहना चाहेंगे कि बालश्रम एक गंभीर समस्या है, क्योंकि:

- इससे बच्चों के शाश्वत अधिकारों का हनन होता है;
- इससे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा;
- यह समूचे समाज के आर्थिक विकास–विशेषरूप से मानवीय पूँजी के दीर्घकालीन विकास–को कुप्रभावित करता है।

क्या ऐसी स्थिति में सरकार से यह उम्मीद करना तार्किक नही है कि वह इस गंभीर समस्या का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए। ऐसा नही है कि हमारी सरकार बालश्रम की परिव्याप्ति के बारे में सचेत नही है या कि सम्बद्ध अधिकारियों ने इस की समाप्ति के लिए प्रयास नहीं किए हैं।

भारतीय संविधान में बाल अधिकारों के मुद्दे को विभिन्न अनुच्छेदों में उठाया गया है। साथ ही इसमें उन अधिकारों की रक्षा के लिए वैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं।

संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में बालश्रम की समस्या को नियन्त्रण मे रखने के लिए प्रावधान दिए गए है;

- अनुच्छेद 24 में चौदह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने, खान या जोखिमपूर्ण काम में लगाने पर निषेध का प्रावधान है;
- अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि:

  1. बच्चों की सेहत और क्षमता को यह निश्चित करके सुरक्षा प्रदान की जाए कि आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर वे ऐसे व्यवसायों/कार्यों में न लगें जो उनकी आयु और क्षमता के अनुकूल न हों, तथा

  2. बच्चों को स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ विकसित होने की सुविधाएँ और अवसर मिलें। राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि बचपन तथा यौवन नैतिक तथा भौतिक शोषण से मुक्त हो।
- अनुच्छेद 45 में चौदह वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान है।

इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, भारत सरकार ने बालश्रम सम्बंधी अनेक सुरक्षात्मक कानून बनाए हैं। कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, पौधा–रोपण तथा शिक्षुता में बालश्रम पर लागू होने वाले अनेक अलग–अलग कानून हैं। प्रवासी श्रमिकों तथा ठेका–मजदूरों की नियुक्ति सम्बंधी कानूनों में ऐसे प्रावधान भी है।

बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम,1986 के दायरे में बालश्रम के सभी रूप आते हैं। इस अधिनियम द्वारा बच्चों की सुरक्षा तथा उनके कल्याण के सम्बंध में राज्य के दायित्व की बात को दोहराया गया है। जैसे कि:

- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नही लगाया जाना चाहिए।
- बच्चों का शोषण न हो तथा आर्थिक विवशताओं के कारण उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनकी आयु और क्षमता के अनुकूल न हो तथा
- बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुविधा तथा अवसर प्रदान किए जाएँ।

इस अधिनियम में इसके अपने तथा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंधन करके बच्चों को काम पर लगाने पर सज़ा का प्रावधान है।

इन कानूनी निर्देशों के मुताबिक, 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाई गई, जिसमें बाल मजदूरों तथा उनके परिवारों के हित के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया। साथ ही इसमें बालश्रम को घटाने और अन्ततः प्रभावी ढंग से इसके उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक बालश्रम वाले क्षेत्रों में परियोजना–आधारित कार्य–योजना लागू करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

राष्ट्रीय बालश्रम नीति में बाल मजदूरों के बारे में निम्न परिकल्पनाएँ निहित है:

- अनौपचारिक शिक्षा;
- व्यावसायिक प्रशिक्षण;
- स्वास्थ्य एवं पोषण; तथा
- शिक्षा

इसके उपरान्त बच्चों को जोखिमपूर्ण कामों से निकालने तथा विशेष स्कूलों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए 1994–95 में एक उच्चशक्ति प्राप्त संस्थान, 'बालश्रम–उन्मूलन–राष्ट्रीय प्राधिकरण' गठित किया गया।

इसके अलावा भारत के संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा को अब मूलभूत अधिकार बना दिया गया है जिसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लेनी ही है।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा –पत्र (चार्टर) प्रत्येक बच्चे के मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है:

- जीने का अधिकार – जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, नाम तथा राष्ट्रीयता;
- सुरक्षा का अधिकार – शोषण, दुरूपयोग तथा उपेक्षा से;
- विकास का अधिकार – शिक्षा, देखरेख, अवकाश तथा मनोरंजन, एवं
- भागीदारी का अधिकार – अभिव्यक्ति, सूचना, विचार तथा धर्म

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा बाल अधिकारों को औपचारिक मान्यता और स्वीकृति दी गई। 'बाल–अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रस्ताव के अनुच्छेद 32 में आर्थिक शोषण से सुरक्षा, जोखिमपूर्ण अथवा स्कूली पढ़ाई को बाधित करने वाले या सेहत अथवा भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास को हानि पहुँचा सकने वाले कार्यो से बच्चे की सुरक्षा पर बल दिया गया है।

दिसम्बर 1992 में भारत सरकार ने बाल अधिकार सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन किया।

भारत बालश्रम पर कार्य आरंभ करने सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले शुरू के देशों में शामिल था।

यहाँ यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सारे सुरक्षा–कानूनों और उपायों के बावजूद भारत में बालश्रम के सभी रूप क्यों व्याप्त हैं? लाखों बच्चे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों हैं?

आइए, इस पर विचार करें कि किन कारणों से बच्चों को काम करना पड़ता है और किस सीमा तक यह काम अपनी मर्जी से या मजबूरी से किया जाता है। बालश्रम के कारणों के रूप में अनेक तथ्यों को सामने रखा जाता है।

निर्धनता बालश्रम का मुख्य कारण है। बाल–मजदूर आमतौर पर ऐसे गरीब परिवारों से आते हैं जिनकी आय के स्त्रोत बहुत अस्थिर और अनिश्चित होते हैं। ऐसे परिवारों के गुजारे के लिए बच्चों की कमाई बहुत महत्व रखती है। उनकी कमाई चाहे कम होती हो, पर प्रायः स्थिर होती है। माता–पिता की आय नियमित न होने की स्थिति में ये बच्चे निर्धनता और अभाव के ऐसे चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं, जिससे निकल पाना उनके लिए लगभग असंभव होता है।

अनेक मामलों में ऋण सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को जोखिमपूर्ण स्थितियों में काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। माता–पिता को मजबूरन अग्रिम भुगतान लेना पड़ता है और अग्रिम भुगतान के रूप में लिए गए ऋण को उतारने के लिए पूरे परिवार को काम करना पड़ता है और फलतः शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर, इन बच्चों से कच्ची उम्र से कोई एक खास किस्म का काम करवाया जाता है, जिससे बाद में बड़े होने पर कोई दूसरा काम शुरू कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हाता है।

निर्धनता के अलावा बालश्रम के अन्य कारण है:

स्कूलों का अपर्याप्त होना

स्कूलों की कमी

महँगी पढ़ाई/पढ़ाई का खर्चा

आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चों को: घटिया काम पर लगाया जाता है;

- उनसे कई घंटे तक मुश्किल काम करवाया जाता है;
- उन्हे कम से कम मेहनताना दिया जाता है; तथा
- उन्हे ऐसे कामों पर रखा जाता है जिन्हे वयस्क लोग, सुरक्षा तथा अन्य कारणों से, करने से मना कर देते है।

प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि – बाल मजदूर होने का अर्थ जीविका की शुरूआत तथा किसी क्षेत्र–विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्राप्ति भी हो सकता है। यह तर्क भी निराधार है क्योंकि बच्चों के मौजूदा कौशल–स्तर या तकनीकी ज्ञान में कोई खास बढ़ोतरी नही होती। ऊबाऊ और थकाऊ काम बच्चों के लिए कौशल वृद्धि या प्रशिक्षण के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। वयस्क होने के बाद उन्हे काम से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह अन्य बच्चों को काम पर रख लिया जाता है। इस तरह वे पूरी तरह कौशलहीन और अप्रशिक्षित रह जाते हैं।

इसके अलावा, अधिकतर उद्योगों और कारखानों में काम का माहौल प्रशिक्षण या कौशल की प्राप्ति में सहायक नहीं होता। बच्चों को ऐसी तंग जगहों पर काम करना पड़ता है जो न तो हवादार होती हैं और न ही साफ–सुथरी। लम्बे वक्त के लिए (हर रोज करीब 12–13 घंटे) काम करने तथा बहुत कम मेहनताना मिलने से उनकी हालत और भी बदतर हो जाती है। जिन बच्चों को कारखानों व घरों में काम करने के लिए जबर्दस्ती भेज दिया जाता है, उन्हे तो और भी बदतर हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे के विकास की गुंजाइश कहाँ बचती है?

यह तर्क भी दिया जा सकता है कि बच्चों को बिना जोखिम वाले काम करने की अनुमति होनी चाहिए क्यों कि उनके परिवार को अपने गुज़ारे के लिए उनकी कमाई की जरूरत है। यह चालाकी भरा तर्क है। यह स्मरण योग्य है कि जोखिमपूर्ण' शब्द पर विवाद है क्योंकि यह काम की अन्तर्निहित जोखिमपूर्ण प्रकृति की बजाय इस बात को मुद्दा बनाता है कि बच्चों के लिए कौन सा काम जोखिमपूर्ण है, और कौन सा नही। चाय की दुकान, रेस्तराँ तथा घरों में काम करने में कोई जोखिम नहीं दिखता, लेकिन इस तरह के कामों से भी बच्चे को अत्यधिक मानसिक क्षति पहुँच सकती है।

ऐसा कोई भी काम, जिसमें रोज़ कई–कई घंटे लगे रहना पड़ता है तथा जिससे बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन तथा खेलने के अधिकार का हनन होता है, बच्चों को रूद्ध विकास और गहरे मानसिक आघात का कारण बन सकता है।

इस सब के बावजूद, घनघोर गरीबी के कारण परिवारों के लिए बच्चों की कमाई की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने बालश्रम पर पूर्ण प्रतिबंध नही लगाया है। यह सुज्ञात तथ्य है कि आर्थिक जरूरतें बहुत बार व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों पर हावी हो जाती है। इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में बच्चों को जोखिमपूर्ण कामों में लगाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। (एम0 सी0 मेहता बनाम तामिलनाडू राज्य)

एक प्रश्न यह उठता है कि जब श्रमिक हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ मौजूद है तो वे बालश्रम के खिलाफ क्यों नही उठ खड़े होते? इसका कारण यह है कि संगठित–श्रमिक–संघों वाली फर्मों और उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति नही की जाती। यदि कहीं नियुक्ति होती भी है तो ऐसे कारखानों व उद्योगों से बहुत कम प्रतिनिधि इन श्रमिक–संघों में होते है। असंगठित तथा कुटीर–उद्योगों में श्रमिक–संघों की औपचारिक व्यवस्था नही होगी। जो भी हो, श्रमिक संघों का ध्यान मजदूरों को बेहतर वेतन और सुविधाएँ दिलवाने पर केन्द्रित रहता है, जिस से वे बालश्रम के मुद्दे को सक्रिय रूप से नही उठा पाते।

संक्षेप में, बालश्रम की गंभीर समस्या को समझने की शुरूआत हमने कर दी है : बच्चों को काम पर लगाने का क्या अर्थ है, इससे किसको नुकसान और किसको फायदा होता है। अगले सत्र में हम अपने चारों ओर व्याप्त बालश्रम के खतरों को नियन्त्रण में रखने के तरीकों और साधनों के बारे में चर्चा करेंगे।

" मैं रूकता हूँ, ठिठकता हूँ, देखता हूँ कि मेरे घर में काम कर रही यह छोटी सी कमज़ोर –सी लड़की कौन है? मेरी बहन की तरह यह बाहर क्यों नही खेल रही? मेरी माँ उस पर चिल्ला क्यों रही है? वह काम क्यों कर रही है? क्या मैने पहले कभी इस तरह सोचा ? "

# बालश्रम के उन्मूलन में आपका योगदान

## ... मेरा सवाल ?

## ... मेरा सपना !!

हमारे धारावी को कौन नहीं जानता ? अब्बू जब मेरी उम्र के थे तो सतारा से मुम्बई आए। यहाँ उन्होंने चाचा के कारखाने में चमड़े सींझने का काम शुरू किया। तभी से वह चमडे की चीजें बनाते आए है। अम्मी भी दोपहर तक कारखाने पर चमड़े के पर्स व कोट सीती हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। और मेरा स्कूल सब्ज़ी मंडी के पीछे लगता है।

अम्मी बताती है कि निकाह से पहले वह हमारे स्कूल के बाहर फल बेचती थी। उन्हें भी स्कूल ड्रेस पहन कर स्कूल जाने का शौक था। पर वो कभी स्कूल नही गई। जब मैं छोटा था तब अम्मी ने अब्बू से लड़कर मुझे स्कूल भेजा। वह कहती है कि मैं पढ़कर चमड़े की बू से दूर एक पक्का मकान बनाऊँ।

मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रफीक है। वह पास ही के चमड़े कारखाने पर काम करता है। एक दिन उसे मालिक ने देर से आने के कारण काम से निकाल दिया। जब वह मुझे मिला तो बोला कि मैं अब्बू से पूछँ यदि चाचा के कारखाने में काम हो।

घर लौटते समय मैने सोचा:

क्या रफीक चाचा के कारखाने में काम करने कि जगह मेरे साथ स्कूल नही आ सकता ?

कहानी – सलीम, उम्र 10 साल, कक्षा–IV

## सत्र - II

इस सत्र में हमारे समाज को बालश्रम से मुक्त करने में हमारी भूमिका और हमारे योगदान पर परिचर्चा होगी। सभ्य समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हर बच्चे को स्वस्थ बचपन मिले और सक्षम वयस्क के रूप में उसका विकास हो। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बालश्रम के लाभार्थी न बनें, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम कहीं से भी शुरूआत कर सकते हैं। इसके लिए हम इस मुद्दे को चर्चित व विज्ञापित करने या अपनी जीवन शैली की समीक्षा करने जैसी कोई शुरूआती नीति अपना सकते हैं।

आप इस सामाजिक बुराई के सब रूपों के खिलाफ लड़ाई में शरीक होना चाहते है तो यहाँ आप के लिए व्यावहारिक निर्देश दिए गए हैं कि आप कहाँ से और कैसे शुरूआत करें। तीन बीज–शब्द याद रखें: विचार–विनिमय, जाँच–पड़ताल और भागीदारी। शुरूआत व्यक्तिगत स्तर पर करें। अगर आप को लगता है कि आप ज़्यादा वक्त दे सकते हैं और ज़्यादा कोशिश कर सकतें हैं तो अपने मोहल्ले, शहर या कस्बे में पहल करें। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्टीय स्तर पर सक्रिय ऐसे अन्य समूहों से जुड़कर तीसरे स्तर पर पहुँचें।

### आप क्या कर सकते हैं?

> "भले ही जो हम करें वह केवल महासागर की एक ही बूँद हो, लेकिन यदि वह बूँद महासागर में नह होती हो निश्चित ही वह महासागर एक बूँद कम होता।
>
> – मदर टेरेसा

### स्तर 1 : विचार–विनिमय

प्रारम्भिक स्तर पर, बालश्रम के विरूद्ध किसी भी प्रयास की सफलता के लिए विज्ञापन और चेतना–प्रसार का बहुत महत्व है। सामाजिक रूप से जटिल व संवेदनशील मुद्दा होने के कारण बालश्रम पर जन समर्थन जुटाना बहुत जरूरी है ताकि आधिकारिक रूप से इसके विरूद्ध संघर्ष किया जा सके।

व्यक्तिगत स्तर पर आप इस तरह शुरूआत कर सकते हैं:–

- मित्रों, माता–पिता, शिक्षकों तथा अन्य रिश्तेदारों से बाल मजदूरों द्वारा झेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक, शारिरिक, मानसिक तथा भावात्मक आघातों के बारे में बात करें,
- प्रश्न पूछें, सम्बंधित मुद्दे उठाएँ तथा उनके मह>व के बारे में लोगों को सहमत करने की कोशिश करें।
- संदेश प्रसारित करते समय इन चार बिन्दुओं को खास तौर से उभारें :
  1. अपने कार्यस्थल पर बच्चों को जोखिम, दुर्व्यवहार और शोषण का सामना करना पड़ता है यह नैतिक रूप से अनुचित तथा आपराधिक कुकृत्य है ।
  2. यह मानवीय अधिकारों का सरासर उल्लघंन है।
  3. बालश्रम के परोक्ष लाभार्थी बनकर आप इन बच्चों तथा इनके परिवारों को गरीबी और शोषण के अटूट चक्रव्यूह में धकेल देते है।

4. बालश्रम की समाप्ति का मतलब बाल–मजदूरों को जीविका के साधनों से वंचित करना यानी उनकी रोज़ी–रोटी छीनना नही है।

- पैसे, कपड़े, किताब और खिलौने इकट्ठे करें और उनको अपनी जान–पहचान के बाल–मजदूरों में बाँटें तथा
- घरेलू नौकर, कूड़ा–कचरा बीनना, सफाई व झाड़ू–पोंछा आदि बालश्रम के सामान्य उदाहरणों में शामिल है। अपने परिचित किन्ही ऐसे बाल मजदूरों की मदद करें ताकि उन्हे अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम करने की जरूरत न रहे। आप उन को आर्थिक मदद दे सकते हैं, पढ़ा सकते है या अपने ढंग से उनके जीवन की दयनीयता और तकलीफों को घटाने का प्रयास कर सकते हैं। शहरी इलाकों में घरेलू नौकर रखना आम बात है। आप मालिकों को इस बात के लिए मनाएँ कि वे छोटे बच्चों को अपने घर में नौकर न रखें। इसकी बजाय वे उन्हे स्थानीय औपचारिक या अनौपचारिक स्कूलों में भेजें।

## स्तर 2 जाँच – पड़ताल

अपने आस पड़ोस में देखिए, क्या आपकों बच्चे वहाँ काम करते और रहते नज़र आते है।

- हमारे घरो वह बस्तियों मे?
- आस पड़ोस में हमारी तरह, केवल अंतर यह कि वह काम करते है और स्कूल नही जाते।
- हमारी स्कूल व कालेज कैन्टीन में काम करते हुए ?
- अपने रेलवे स्टेशन व प्लेटफार्म पर रहते हुए ?
- अपने शहर की झुग्गी झोपड़ियों मे ?

बाल श्रम के ऐसे उदाहरण हर मोड़ पर पाए जाते हैं। हमारे आस पडोस में, मुहल्ले में, स्कूल, कॉलेज वह शहर में इन्हें देखने पर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते है

- अपने क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बालश्रम के प्रभाव की थाह लेने के लिए आप अपना अध्ययन समूह गठित करें। जैसे कि आपके इलाके के बॉटलिंग प्लांट में यदि बाल मजदूरों की जगह वयस्क मजदूरों को लगा दिया जाए तो क्या आर्थिक परिणाम होंगे।
- अपने मोहल्ले तथा उसके आस–पास के बाल मजदूरों, उनके परिवारों, उनके काम की प्रकृति और हालात सम्बंधी एक सूची तैयार करें ।
- संकलित आँकड़ों को बालश्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय संगठनों को उपलब्ध करवाये;
- व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए बाल मजदूरों का शोषण करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र–पत्रिकाओं में याचिकाएँ और अपील प्रकाशित करवाएँ; तथा

बालश्रम पर व्यापकतर चेतना पैदा करने के लिए इन में से कोई उपाय करें:

1. रैलियाँ और जुलूस;
2. पोस्टर, वॉल–हैंगिग्स, बैनर्स तथा कोलाज;
3. पैम्फलेट्स तथा स्टिकर्स का वितरण;
4. साइन–बोर्ड;
5. नुक्कड़ नाटक;
6. घर–घर जाकर अभियान चलाना तथा
7. बाल मजदूरों के माता–पिता, समुदाय के नेताओं तथा बाल मजदूरों के मालिकों से मिलकर बात करना।

## स्तर 3: भागीदारी

बालश्रम के विरूद्ध स्थानीय स्तर पर जनमत जुटाने के बाद आप प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं।

- कार्यशाला, संगोष्ठी, वाद–विवाद तथा विचार–विमर्श के आयोजनों के माध्यम से बालश्रम पर जनचेतना जागृत करें।
- इन आयोजनों में समुदाय के सम्मानित नेताओं, समाज सुधारकों, नीति निर्माताओं तथा स्थानीय राजनेताओं को सम्बद्ध मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित करें।
- मेलों, संगीत सभाओं तथा सामुदायिक खेलों का आयोजन करके उन संस्थाअें और एजेंसियों के लिए धन इकट्ठा करें जो बाल–मजदूरों के पुनर्वास के काम में लगी हुई हैं।
- बालश्रम सम्बंधी सूचनाओं के प्रसार के लिए श्रमिक–संघों तथा कर्मचारी–संगठनों का सहयोग लें,
- डॉक्यूमेंटरी फिल्म, वेबसाइट, पोस्टर, बैनर तथा स्टिकर बनाकर प्रभावी ढंग से अपना संदेश फैलाने के लिए प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें।
- समान विचारधारा वाले लोगों तथा संगठनों के सम्पर्क में रहें। उनको प्रेरित व सक्रिय करके बालश्रम के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरूआत करें, तथा
- बड़े मंच पर इस मुद्दे को उठाने तथा बालश्रम के विरूद्ध व्यापकतर अभियान में भागीदारी करने के लिए स्थानीय स्तर के गैर–सरकारी संगठनों तथा युवा–मंडलों के साथ मिलकर स्वैच्छिक ढंग से काम करें। उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर ऐसे संगठन स्वयंसेवियों का स्वागत करते हैं। इसके लिए सम्पर्क साधकर, अपना रूझान जताकर यह पता करना होगा कि संगठन के साथ मिलकर कैसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करना है। संगठन के स्वयंसेवी – फार्म प्रतिभगियों को दिखाया जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि बालश्रम जैसे विवादस्पद और जटिल मुद्दे से निपटने के लिए जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करने के साथ–साथ हमारा अन्तिम उद्देश्य इस सामाजिक बुराई को अपने जीवन और समाज से उखाड़ फेंकना है।

> " बालश्रम के अमानवीय रूपों को सहन करने वाले समाज तथा देश का कोई भविष्य नही है। "

किसी देश का विकास और उसकी सम्पन्नता मुख्यतः इस बात पर निर्भर होती है कि वहाँ बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए उन्हे कैसे अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस उद्देश्य के मद्देनज़र, इस बुराई के विरूद्ध सब मोर्चो पर संघर्ष करने के लिए सभी सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों का व्यापक गठबंधन बनाए जाने की जरूरत है।

**आपकी भागीदारी से बहुत फर्क पड़ेगा।**

**हम आशा करतें हैं कि आप इस गठबंधन में शामिल होंगे।**

**For further reading on child labour related articles/information, please visit the following websites:**

Ministry of Labour, Government of India
http://labour.nic.in

Ministry of Human Resource Development,
*Sarva Shiksha Abhiyan* (SSA), Government of India
http://ssa.nic.in

Yeshwantrao Chavan Academy of
Development Administration
www.yashada.org

PRATHAM
www.pratham.org

Global March Against Child Labour
http://www.globalmarch.org

Campaign Against Child Labour
http://childrensrightsindia.org/cacl-updatejan2002.htm

International Labour Organziation,
International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)
www.ilo.org/childlabour

International Labour Organizaion,
Subregional Information System on Child Labour -
International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)
www.ilo.org/childlaboursa

M. Venkatarangaiya Foundation (MVF)
http://www.mvfindia.org

Save the Children
http://www.savethechildren.org.uk

UNICEF
www.unicef.org

PRAYAS Institute of Juvenile Justice
www.prayaschildren.org

Child In Need Institute (CINI-ASHA)
http://www.cini-india.org

# बालश्रम पर प्रश्नोत्तरी तथा विचार विमर्श

## ... मेरा सवाल ?
## ... मेरा सपना !!

नमस्कार

आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी मेरे एक खामोश मित्र की है। उसका नाम विनोद है। वह मेरी गली में ही रहता है। मैं हर रोज अपने स्कूल के रास्ते में या खेलते समय देखता हूँ। हमारी कभी बातचीत नही हुई।

रोज सुबह जब मैं अखबार उठाता हूँ वह भी आंगन की सफाई कर रहा होता है। मेरे स्कूल के जाने के समय वह बाजार से दूध व सब्जियाँ का थैला लेकर आ रहा होता है। वह अपनी खामोश आँखों से मुझे स्कूल जाते देखता है। मैं स्कूल चला जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ।

एक दिन मेरी अध्यापिका ने बताया कि सभी बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं। तभी मैने सोचा कि "फिर विनोद स्कूल क्यों नही आता।" उस ाम जब मैं गली में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था विनोद गेट के बाहर गोदी में बच्चे को पकड़े हुए था। अगले दिन स्कूल से आने के बाद मैं विनोद से मिला और पूछा, " तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है कि तुम घर पर रहते हो। ना तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है, और ना स्कूल का काम करना पड़ता है।"

विनोद यह सुनकर बोला " मुझे पता नही कि मैं किस्मत वाला हूँ या नहीं, लेकिन मैं तो सारा दिन काम करता हूँ। मुझे तो खेलने का भी समय नहीं मिलता।" उसने आगे कहा कि, "मैं तुम्हें व अपने मालिक के लड़के को पढ़ते, खेलते व टेलीविजन देखते हुए देखता हूँ, मेरा मन भी यह सब करने को करता है।" उसका उत्तर सुनकर मैने सोचा:

- मैं जब भी स्कूल नहीं जाना चाहता तो मेरे पिता कहते है कि बिना पढ़े बड़े आदमी कैसे बनोगे ? फिर विनोद बड़ा आदमी कैसे बनेगा ?"
- पिताजी कहते है – सभी बच्चों को स्कूल मे जाना चाहिए। अध्यापिका कहती हैं कि सभी बच्चे स्कूल में है तो विनोद स्कूल में क्यों नहीं है?
- मैं सोचता हूँ कि अपनी अध्यापिका से पूछूंगा कि क्या विनोद मेरे साथ स्कूल आ सकता है?

विनोद को स्कूल में लाना मेरी अध्यापिका के लिए आसान काम नहीं हैं लेकिन वह कोशिश कर रही है। मुझे आशा है कि वह एक दिन मेरे साथ मेरी कक्षा में होगा।

यदि आप भी ऐसे किसी विनोद को जानते है जो सिर्फ काम करता है, कृपया आप भी अपने अध्यापिका या अपने दोस्तों की मदद से उसे स्कूल में लाने का प्रयास करें।

कहानी – तारीक अहमद, उम्र 10 साल, कक्षा–V

## सत्र - III

इस सत्र में बालश्रम पर एक प्रश्नोत्तरी (क्विज़) का आयोजन किया जाएगा (अनुलग्नक 1)

बालश्रम से जुड़े मुद्दों पर प्रतिभागियों की पकड़ और समझ को परखने के लिए यह प्रश्नोत्तरी होगी। इस में बहु–चयन और खुले प्रश्न होंगे, जिन्हे हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा।

### विचार विमर्श

सम्बद्ध विषयों पर पारस्परिक विचार–विनिमय के साथ कार्यशाला सम्पन्न होगी। विचार–विनिमय के मुद्दे ये होंगे कि बालश्रम की मूल अवधारणा को प्रतिभगियों ने कहाँ तक समझा । इसके समाजार्थिक निहितार्थो, समाज से इसके उन्मूलन की आवश्यकता को उन्होने किस सीमा तक महसूस किया तथा यह भी कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कारगर ढंग से कैसे अपना योगदान दे सकते हैं । प्रतिभगियों को इन मुद्दों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रकट करने तथा बाँटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तरी के दौरान प्रतिभागियों द्वारा दिए गए उत्तरों को भी इस विचार – विमर्श का विषय बनाया जा सकता है। उसके बाद प्रतिभागियों से अपनी अपनी कार्य–योजना बनाने के लिए कहा जाना चाहिए, जिनका पूरे समूह के बीच, विचारों और दृष्टिकोणों के साथ'–साथ, आदान–प्रदान किया जाना चाहिए।

## अनुलग्नक 1

अ. बालश्रम की समझ व उसका ज्ञान

1. भारतीय कानून के मुताबिक 'बच्चा' कौन है ?
   (क) 12 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति
   (ख) 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति
   (ग) 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति

2. आपके विचारों के अनुसार 'बच्चा कौन है ?

3. भारत में कितने बाल–मजदूर है ?
   (क) 1–3 करोड़
   (ख) 6–10 करोड़
   (ग) 12.5–16 करोड़

4. क्या आप जानते हैं कि बालश्रम के सम्बंध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?
   (क) जी हाँ
   (ख) जी नहीं
   (ग) याद नहीं आ रहा

5. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारत में बालश्रम के सब रूपों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए ?
   (क) जी हाँ
   (ख) जी नही
   (ग) कह नही सकता / सकती

6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद "24 के अनुसार वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खान में तथा किसी जोखिमपूर्ण काम में नही लगाया जा सकता।" क्या आप इस विचार से सहमत है? कृपया तर्कसहित उत्तर दें।

7. 'जोखिमपूर्ण रोज़गार' में शामिल कार्यो की विस्तृत सूची सरकार ने बनाई है या नही ?
   (क) जी हाँ, बनाई है
   (ख) जी नहीं, नही बनाई है
   (ग) मुझे पता नही

8. आपके अनुसार बच्चों के लिए 'जोखिमपूर्ण काम' के कौन–कौन से 'घटक' हैं?

9. आप की राय में, क्या बच्चों को गैर–जोखिमपूर्ण कामों में लगाना ठीक है?
   (क) जी हाँ
   (ख) जी नहीं
   (ग) कह नहीं सकता / सकती

10. आपके विचार से बाल–श्रम का मुख्य कारण क्या है?
   (क) गरीबी
   (ख) निरक्षरता तथा शिक्षा सुविधाओं की कमी
   (ग) पारिवारिक कर्ज़
   (घ) उपर्युक्त सभी

11. आपके विचार से हमारे देश में बालश्रम की व्याप्ति कहाँ ज्यादा है?
(क) ग्रामीण इलाकों में
(ख) शहरी इलाकों में

12. सामान्यतया किन सैक्टरों में बाल–मजदूर अधिक होते हैं?
(क) कृषि
(ख) निर्माण
(ग) खान और कारखाने

13. क्या आप इस बात पर विश्वास करतें हैं कि बच्चों की उंगलियाँ पतली होती हैं और इसी कारण वे वयस्कों के मुकाबले कुछ खास कार्यों (व्यवसायों) में अधिक सक्षम और कुशल होते हैं?
(क) जी हाँ
(ख) जी नहीं
(ग) शायद

14. यदि आपने तेरहवें प्रश्न का उत्तर क या ग दिया है तो कुछ ऐसे उद्योगों के नाम लिखें, जिनमें किसी वयस्क के मुकाबले बच्चे अधिक उत्पादन सक्षम साबित होते हैं।

15. क्या आप मानते हैं कि छोटी उम्र में मजदूरी की शुरूआत के साथ बच्चों की आजीविका की भी शुरूआत हो जाती है?

## ब. बालश्रम एक सामाजिक मुद्दे के रूप में

1. देश में व्याप्त बालश्रम की प्रथा के विरूद्ध आप किस सीमा तक चिंतित हैं?
(क) बहुत अधिक चिन्तित
(ख) अधिक चिन्तित
(ग) कुछ खास चिन्तित नही

2. क्या आप बालश्रम को हमारे समाज में व्याप्त बुराई मानते हैं?
(क) जी हाँ
(ख) जी नही
(ग) कह नही सकता / सकती

3. क्या आप को भारत में बालश्रम पर लागू हाल ही के कानूनों की जानकारी है?
(क) जी हाँ
(ख) जी नहीं
(ग) ध्यान नहीं

4. क्या आप बालश्रम की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों को पर्याप्त मानते हैं?
(क) जी हाँ, वर्तमान कानून समस्या के हर पहलू से निपटने में सक्षम हैं
(ख) शायद वे पर्याप्त हो, पर उनमें सुधार की गुंजाइश है
(ग) जी नही, वे पूरी तरह निष्प्रभावी और अपर्याप्त हैं

5. आपके विचार से देश में बालश्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ सुझाव दीजिऐ।

स. आप क्या कर सकते हैं?

1. बालश्रम सम्बंधी मूल तथ्यों से आप परिचित हो गए हैं, इस समस्या के हल के लिए आप किस हद कि भागीदार बनना चाहेंगे?
   (क) मैं इस मुद्दे पर बहुत चिन्तित हूँ और स्तर 3 तक इसमें भागीदार बनना चाहूँगा/चाहुँगी।
   (ख) इतना समय दे पाने के बारे में मैं निश्चित नही हूँ । फिर भी मैं अपने समुदाय व शहर में कुछ रचनात्मक काम करना चाहुँगा/चाहुँगी।
   (ग) ज्यादा काम करने के लिए मेरे पास समय और क्षमता नही है। फिर भी मैं इस मुद्दे पर परिचित लोगों से बातचीत कर के उन्हें जागरूक कर सकूँगा/सकूँगी।
   (घ) मेरी रूचि न के बराबर है। मैं किसी भी स्तर पर इसमें भागीदार नही होना चाहता/चाहती।
2. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमे बालश्रम के बारें में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए?
3. यदि आपकी अध्यापिका ने ग्यारह साल के लड़के को घरेलू नौकर रखा है, आप उन्हे कैसे मनवाएँगे कि ऐसा करना अनैतिक है?
4. आप गरीब अनाथ बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए अपनाई जाने वाली अपनी तीन योजनाएँ बताइए।
5. अपने स्कूल/कॉलेज/मोहल्ले में बालश्रम सम्बंधी जागरूकता फैलाने के लिए पाँच उपायों का उल्लेख कीजिए।
6. आपके पड़ौस के बाज़ार में ऐसे उद्योगों द्वारा निर्मित माचिस, पीतल की चीजे तथा ताले बेचे जाते हैं, जिन उद्योगों में काफी बड़ी संख्या में बाल मजदूर काम करते हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएँगे?
7. बालश्रम उन्मूलन के लिए कार्यरत किन्ही तीन संगठनों के नाम बताइए।
8. बालश्रम पर आपका अंतिम निष्कर्ष.....
   (क) बालश्रम एक गंभीर अपराध है और यह पूरी तरह अनैतिक है। किसी भी सभ्य समाज द्वारा इस बुराई को सहन नहीं किया जाना चाहिए। बालश्रम पर तुरन्त पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।
   (ख) यह सामाजिक बुराई चाहे कितनी ही गंभीर हो परन्तु इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में अनेक व्यावहारिक समस्याएँ हैं । इसका परिणाम व्यापक बेरोज़गारी तथा बाल मजदुरों के परिवारों के लिए अनेक मुश्किलों के रूप में सामने आएगा। इसलिए चरणब) तरीके से ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
   (ग) बालश्रम पर प्रतिबंध लगाना अव्यावहारिक है। इससे समस्याएँ हल इतनी नही होंगी, जितनी बढ़ेंगी। इसलिए कार्यसूची में बाल मजदूरों के लिए बेहतर कार्य–स्थिति तथा अधिक वेतन जैसे लक्ष्य रखे जाने चाहिए।
   (घ) इस मुद्दे पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।

**इंडस बाल श्रम परियोजना**
**अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन**
दक्षिण एशिया का उपक्षेत्रीय कार्यालय, नयी दिल्ली
कोर 4–बी, तीसरा माला, भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003 (भारत)
फैक्स : 91–11–24644864, 24602111 ई मेल : sro_delhi@ilodel.org.in

पाठकगण द्वारा भरे जाने के लिए प्रतिपुष्टि–प्रपत्र

**उन्हें उनका बचपन लौटाइए**

यदि आप इस प्रश्नावली को पूरा करके डाक या फैक्स द्वारा उपर लिखित पते पर लौटा सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

1. इस प्रकाशन की गुणवता के बारे में सही (✓) का निशान लगाकर अपनी राय दें :–

| | उत्कृष्ट | अच्छा | औसत | घटिया | बहुत घटिया |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्न्तवस्तु/विषय वस्तु | | | | | |
| नई अर्न्तदृष्टि | | | | | |
| प्रस्तुति | | | | | |
| पठनीयता | | | | | |
| समग्र प्रभाव | | | | | |

2. आपके कार्य के लिए प्रकाशन कितना उपयोगी है।कृप्या सही (✓) का निशान लगाइए:

| अत्याधिक उपयोगी | उपयोगी | बहुत उपयोगी नहीं | बिल्कुल भी उपयोगी नहीं |
|---|---|---|---|
| | | | |

(ख) यदि (अत्याधिक) उपयोगी है तो उदाहरण देकर बताएं कि इस प्रकाशन का आपके कार्य में कैसे क्या और कितना योगदान रहा है योगदान के क्षेत्र/क्षेत्रों के बारे में भी बताइए।
(ग) यदि (बहुत) उपयोगी नहीं तो इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए।

3. इस प्रकाशन को बहुत बेहतर बनाने/सुधारने के लिए आप की ओर से टिप्पणी/सुझाव:
(क) भाषा प्रस्तुति तथा प्रसार (सम्प्रेषण) के बारे में :
(ख) विषय–क्षेत्र तथा मुद्दों के समावेश के बारे में :

4. क्या आप हमारे अन्य प्रकाशन को प्राप्त करना चाहेंगे ?

5. आपकी पृष्ठभूमि/व्यक्तिगत विवरण :
नाम :
पदनाम/पद–स्थिति :
संस्थान :
ई–मेल पता :
कार्य का क्षेत्र :

हस्ताक्षर तिथि :

इस प्रश्नावली को पूरा करके हमें लौटाने में आपके कृपा पूर्वक सहयोग के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

# इंडस बालश्रम परियोजना

बाल मजदूरी का मिटा दो नाम
अब नही करेंगे बच्चे काम

स्कूल में पढने जायेंगे
अपना भविष्य बनायेंगे

गली-गली पहुँचा दो ये पैग़ाम

आगे बढ़ने की है हमने ठानी
बीती बातें अब नहीं दोहरानी

मजदूरी करना छोड़ेंगे
शिक्षा से नाता जोड़ेंगे

है अपनी किस्मत हमने ही बनानी

आओ मिलकर कदम बढ़ायें
बच्चों को उनका हक दिलवायें

सब बच्चों का है अधिकार
शिक्षित बचपन का आधार

देश से बाल मजदूरी हम हटायें

यदि आपके आस-पास बाल मजदूरी चल रही है तो पुलिस या श्रम विभाग को सूचना दें, और बच्चों को स्कूल जाने में मदद करें।

**बाल मजदूरी छोड़ो।**
**शिक्षा से नाता जोड़ो।।**

INDUS CHILD LABOUR PROJECT
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional office for South Asia
India Habitat Centre, Core 4B, 3rd Floor, Lodi Road
New Delhi 110003, India

Phone: +91 11 24602101- 03, Fax: +91 11 24602111
Email: sro-delhi@ilodel.org.in, Website: www.ilo.org/india

ISBN 92-2-818022-6